मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्र सं0–टीएस–सीसीटीएनएस–74/2012[Citizen Portal]II दिनांक:लखनऊः अक्टूबर 14, 2017

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद, उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे।
समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे।

अवगत कराना है कि सीसीटीएनएस पोर्टल पर e-FIR दर्ज करने की सुविधा पूर्व से विद्यमान है। इसके अन्तर्गत "uppolice.gov.in" वेबसाइट पर जाकर "Citizen Services" में शिकायत/Complaints पर क्लिक करते ही गैर–नामजद व अज्ञात अभियुक्तों वाले मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था है जिसमें थाने पर चल रहा अगला क्राइम नम्बर मिल जाता है। इसमें पूर्व में चल रहे अलग से 7000 की सीरिज की व्यवस्था जो 4.5 वर्जन वाले CAS में सभी नम्बर कम में होने के कारण स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में उक्त वेबसाइट पर जाकर सीसीटीएनएस योजना में "Citizen Services" में शिकायत/Complaints सम्बन्धी प्रकिया निम्नवत हैः–

1. शिकायत दर्ज करना –
    a. नागरिक सीधे थाना अथवा कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं
    b. थाना /कार्यालय द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है
2. नागरिक /थाना /कार्यालय द्वारा दर्ज शिकायत को अन्य थाना /कार्यालय पर स्थानांतरित करना
3. दर्ज शिकायत पर पूछताछ करने हेतु पूछताछ अधिकारी की नियुक्ति करना – थानेदार एवं उच्च अधिकारी द्वारा
4. पूछताछ अधिकारी द्वारा पूछताछ रिपोर्ट लगाना

Scanned by CamScanner

5. थानेदार एवं उच्च अधिकारी द्वारा पूछताछ रिपोर्ट पर कार्यवाही करना
    a. पूछताछ रिपोर्ट को अस्वीकृत करना
        i. पूछताछ अधिकारी की पुनः नियुक्ति
    b. पूछताछ रिपोर्ट को स्वीकृत करना
        i. शिकायत को समाप्त करना
        ii. शिकायत पर एफआईआर/एनसीआर दर्ज करना
            - पंजीकरण मेनू में जाकर प्राथमिकी जोड़े पर क्लिक करे
            - पेज में नीचे दिए गये आप्शन प्राथमिकी संलग्न हां को सेलेक्ट करे
            - शिकायत सेलेक्ट कर जोड़े (शिकायत विवरण व शिकायत की अन्य सूचनायें एफआईआर/एनसीआर में स्वतः आ जायेंगी)
        iii. शिकायत पर एनसीआर दर्ज करना

3. उपरोक्त के सन्दर्भ में वेबसाइट पर जाकर सीसीटीएनएस योजना में "Citizen Services" में ''शिकायत / Complaints'' सम्बन्धी प्रकिया का फ्लोचार्ट (संलग्नक–1) प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः "uppolice.gov.in" वेबसाइट पर जाकर "Citizen Services" में शिकायत / Complaints द्वारा गैर–नामजद व अज्ञात अभियुक्तों वाले मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था को कियान्वित कराये जाने के लिए कृपया सर्व सम्बन्धित को अग्रेतर कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित करने कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि</u>

14/10/17

(सुलखान सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–
1. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

6.3 Complaint

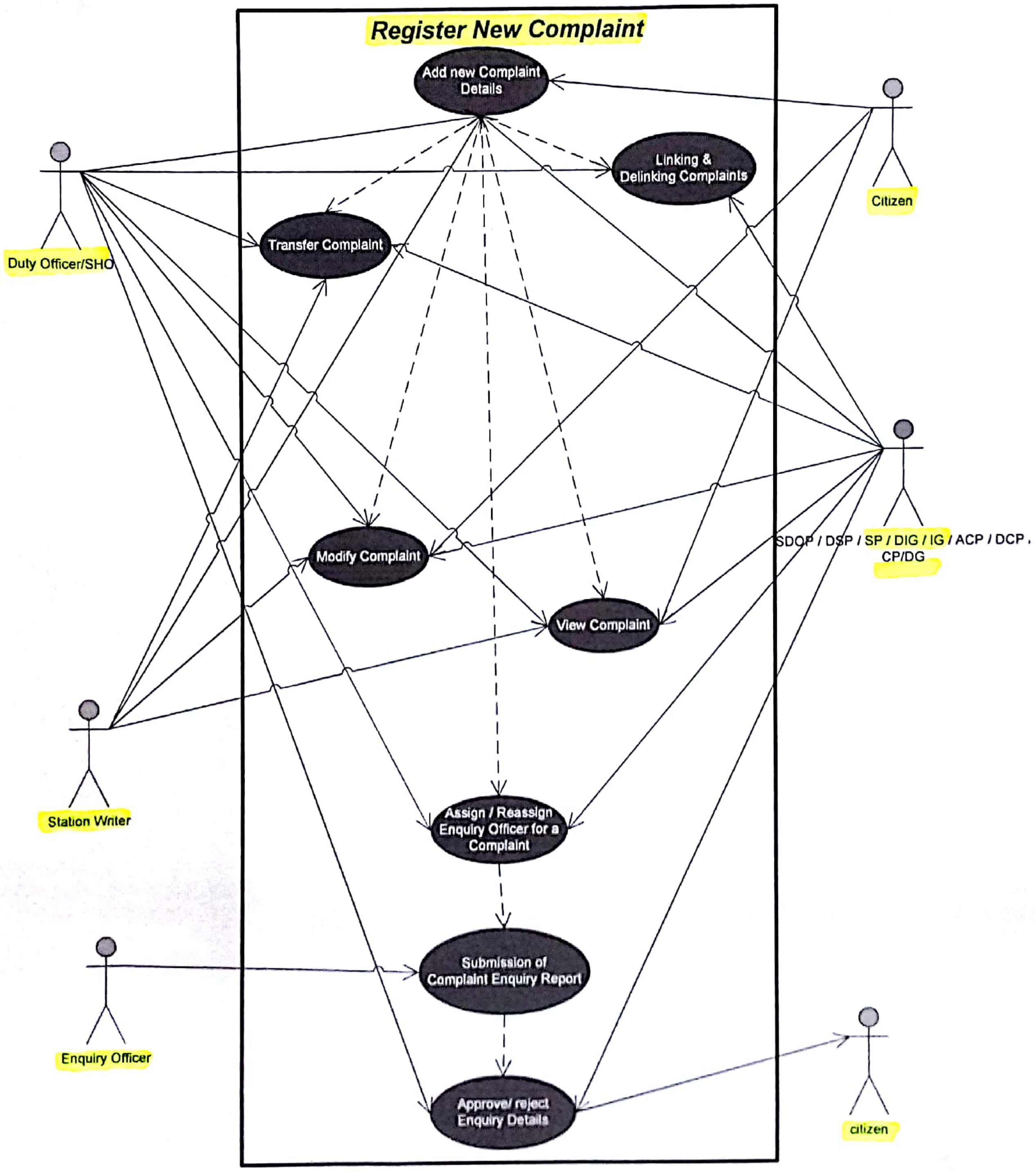

Scanned by CamScanner